आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

न्यायालय अंतर्गत श्री हेमंत सती (भ0प्र0से0), उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 02/2023–24

सोगरमुनी देवी वगै0

–बनाम–

हीरा लाल साह वगै0

28.06.2024

अपीलार्थीगणः–(1) सोगरमुनी देवी, पति– स्व0 कटीमन मंडल

(2) सोमरी देवी, पति– स्व0 राजेन्द्र एक्का दोनो सा0– छोटा पंचगढ़ जिरवाबाड़ी, थाना– जिरवाबाड़ी, जिला– साहेबगंज।

उत्तरवादीगणः–(1) हीरा लाल साह, पिता– स्व0 ईश्वर प्रसाद साह, सा0– पोखरिया नियर काली स्थान।

(2) रणजीत साह, पे0– राम सहाय साह, सा0– पोखरिया शांति नगर, दोनो थाना जिरवाबाडी, जिला– साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद अपीलार्थीगण (1) सोगरमुनी देवी, पति– स्व0 कटीमन मंडल (2) सोमरी देवी, पति– स्व0 राजेन्द्र एक्का दोनो सा0– छोटा पंचगढ़ जिरवाबाड़ी, थाना– जिरवाबाड़ी, जिला– साहेबगंज द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0– 11/2018–19 (सोहरमुनी देवी वगै0 –बनाम– हीरालाल साह एवं अन्य) में दिनांक– 27.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्व दाखिल किया गया है। कालक्षांत के लिए धारा– 5 के अन्तर्गत आवेदन भी दाखिल किया गया है।

अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन को कालक्षांत करते हुए वाद अंगीकृत किया गया। उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से आर0ई0 वाद सं0– 11/2018–19 का मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से मूल अभिलेख आर0ई0 वाद सं0– 11/2018–19 प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि अंचल बोरियो अन्तर्गत मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना– सं0– 35, जमाबंदी सं0– 65, दाग नं0– 273 कुल रकवा– 03 बीघा 06 कठ्ठा 11 धूर भूमि का खतियानी रैयत बीरू धांगड़ थे। जो अपीलार्थीगण के परदादिया

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 	आदेश पर की गई कार्यवाही

ससूर थे।

उक्त भूमि में अपीलार्थीगण को स्वामित्व अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि में से उत्तरवादी सं0– (1) हीरा लाल साह, पे0– स्व0 ईश्वर साह 00–04–00 (चार कठ्ठा) एवं उत्तरवादी सं0– 02 रंजीत साह, पे0– राम सहाय साह 00–02–00, सा0– पोखरिया के द्वारा बिना किसी कागजात दखल–कब्जा कर लिया। जिसे उक्त प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने के लिए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अंचल अधिकारी, बोरियो से प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिये। जो कानूनन गलत है।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी उल्लेख किया कि अंचल अधिकारी, बोरियो द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना सं0– 35, जमाबंदी नं0– 65, दाग नं0– 273 रकवा– 03 बीघा 06 कठ्ठा 11 धूर भूमि बीरू धांगड वगै0 के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि के अंश रकवा 00–06–00 धूर भूमि खतियान रैयत का वंशज रामा धागड़ एवं श्यामा धांगढ़ दान पत्र द्वारा गौरी देवी, पति– सुरेश पाशी को वर्ष 1989 में दिया था। गौरी देवी ने वर्ष 1996 में हीरा लाल साह, पे0– ईश्वर साह को 00–04–00 भूमि दान पत्र के माध्यम से बिक्री कर दिया। प्रश्नगत भूमि दामिन–ई–कोह की भूमि है। जिसे हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। दान–पत्र के द्वारा अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा है। गौरी देवी दान पत्र के द्वारा प्राप्त भूमि को हीरालाल साह को दान पत्र के माध्यम से बिक्री कर दिया गया, जो उचित नहीं है।

आगे अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सावदिक तथ्यों पर विचार किये वगैर अपीलार्थीगण के दाखिल उच्छेदी आवेदन को खारिज कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं है, जिसे अपास्त (Set-aside) किया जाना चाहिए।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आर0ई0 वाद सं0– 11/2018–19 में दिनांक– 27.02.2023 को पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से अनुरोध किया गया।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना नं0– 35, जमाबंदी नं0– 65, दाग नं0– 273 में अपीलार्थीगण को किस प्रकार अधिकार एवं स्वामित्व है। इसके सम्बंध में कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल मेमो आफ अपील में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी सं0– 1 सोगरमुनी देवी, पति– कटीमन मंडल, 2 सोगरी देवी, पति– राजेन्द्र एक्का अंकित है। जबकि प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत बीरू धागड़ वगैरह है।

अपीलार्थी किस जाति के अन्तर्गत आती है, इस सम्बंध में उनके द्वारा कोई पुख्ता सबूत दाखिल नहीं की गई है। एक शपथ के माध्यम से उसे उस वंशज के भूमि पर अधिकार एवं स्वामित्व का दावा करना उचित नहीं है।

आगे उन्होने यह भी कहा कि अगर उनके शपथ पत्र का आधार माना जाय, तो शपथ पत्र में पुरूष सदस्य के नाम अंकित है, महिला सदस्यों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना नं0– 35, जमाबंदी नं0– 65, दाग नं0– 273 की भूमि पर दावा कर रही है जबिक उत्तरवादी वर्ष 1996 से एकरारनामा बनाकर निवास कर रहे है। इसे स्पष्ट है कि भूमि की प्रकृति बदल चुकी है। वर्त्तमान में

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही

उक्त मौजा में अनेक परिवार घर बनाकर निवास कर रहे है।

आगे अपने तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना नं0– 35, जमाबंदी नं0– 65 की भूमि उत्तरवादी एकरारनामा में प्राप्त किया है। जिसमें खतियानी रैयत के वंशजों का भी हस्ताक्षर उस एकरारनामा पर दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा नगर परिषद्, साहेबगंज को टैक्स भी अदा कर रहे है एवं बिजली का कनेक्शन भी उक्त भूमि पर है। बसौड़ी भूमि नगर परिषद्, साहेबगंज अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। भू–स्वामी मानकर नगर परिषद्, साहेबगंज द्वारा तरह–तरह के टैक्स वसूल कर रहे है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची में डोमन प्रसाद यादव –बनाम– राज्य सरकार झारखंड़ 2008(1) JLJR में उल्लेख किया है कि Basoriland does not come with in the Ambit Section 20 SPT Act तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची में दायर वाद W.P.(C) No. 3771/2002 (घेना हांसदा –बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश पैरा– 12 में स्पष्ट रूप से held किया गया है कि It is not in dispute that once the nature of land has changed form agriculture to Basauriland, there by it becomes transferable and such transfer do not fall within the mischief section- 20 of S.P.T. Act 1949 को आधार मानते हुए अपीलार्थी के आवेदन को विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आर0ई0 वाद सं0– 11/18–19 में दिनांक– 27.02.2023 को खारिज कर दिया गया, जो न्याय संगत है।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक– 27.02.2023 को यथावत (Upheld) रखने हेतु अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0– 02 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि प्रश्नगत भूमि से हमारा कोई सरोकार नहीं है तथा मुझे जबरन घसीटा जा रहा है। उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि पर रकवा एवं चौहदी दर्शाया गया है उसमें भिन्नता है। उत्तरवादी सं0– 02 के पिता स्व0 राम सहाय साह द्वारा वर्ष 1936 में जमाबंदी रैयत बीरू धांगड़ से वसोबास हेतु प्राप्त किया गया था। जिसका लिखित दस्तावेज डीड आफ डिसक्लेमर 05 अगस्त 2000 ई0 को खतियानी रैयत बीरू धांगड के वास्तविक और वैध उत्तराधिकारी मसो0 बलवा धागड़िन, कटीमन धांगड, पिता– स्व0 रामा धांगड़ मोसमात समिया धांगडिन, पति– स्व0 रामा धांगड़ द्वारा दिया गया था। जिसमें शांतिपूर्ण घर बनाकर भोग दखल कर रहे है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के दलीलों को सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मौजा– छोटा पंचगढ़, थाना नं0– 35, जमाबंदी नं0– 66, दाग नं0– 273, रकवा– 02 बीघा 06 कठ्ठा 11 धूर भूमि खतियानी रैयत बीरू धागड़ वगैरह के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0– 01, 1996 से एवं प्रतिवादी सं0– 02, 1936 से रह रहे है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची के W.P.(C) Case No. 3771/2002 में

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

पारित आदेश के कंडिका– 12 में उल्लेख किया गया है कि "Moreover once the nature of land has changed from agriculture to basauriland it becomes transferable and such transfer do not fall within the mischief of section 20 of the Act" के आलोक में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है। चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय (Court of Record)। अभिलेख न्यायालय के सभी निर्णय एवं कार्यवाहियों को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है और उसके निर्णय संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों में माने जाते है।

अतः उपरोक्त तथ्यों में विचारोंपरांत अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आर0 ई0 वाद सं0– 11/2018–19 में दिनांक– 27.02.2023 को पारित आदेश यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति आर0 ई0 वाद सं0– 11/2018–19 के मूल अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत कराऐं। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/6/2024

जिला दण्डाधिकारी,
–सह–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

28/6/2024

जिला दण्डाधिकारी,
–सह–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.07.24 13:21:08 +05:30
Location: 192.168.29.165

Scanned with OKEN Scanner